

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] No. 36] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2018/माघ 4, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2018/MAGHA 4, 1939

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सं. ए—12011/1/2017—स्था.(वोल—I).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1982 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सं ए—12011/1/2005—स्था. दिनांक 25.10.2006 के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं प्रोन्नित नियमों, 2006 तथा सं.ए—12011/2/2015—स्था. दिनांक 27.7.2016 के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं प्रोन्नित (संशोधित) नियम, 2015 के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, संयुक्त निदेशक (तक.) एवं उप निदेशक (प्रशा.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पदों पर भर्ती की पद्धित में निम्निखित संशोधन करता है:

- 1. लघु शीर्ष और प्रारम
 - (i) इन नियमों को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और प्रोन्नित (संशोधित) विनियम, 2017" कहा जा सकता है।
 - (ii) शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ये संशोधन प्रवृत्त माने जाएंगे।
- 2. अधिसूचना सं. ए—12011/1/2005—स्था. दिनांक 25.10.2006 एवं सं.ए—12011/2/2015—स्था. दिनांक 27.7.2016 में खंड 14.2 के बाद, मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, संयुक्त निदेशक (तक.) एवं उप निदेशक (प्रशा.) के पद हेतु दी गई तालिका को निम्नलिखित अनुसूचियों से प्रतिस्थापित किया जाता है:

मुख्य क्षेत्रीय नियोजकः

अनसची

			~ <u>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </u>			
पदनाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतनबैंड व ग्रेड	चयनित	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य
	संख्या		पे / वेतनमान	अथवा गैर	हेतु आयु	अर्हताएँ
				चयनित पद	सीमा	
1	2	3	4	5	6	7
मुख्य क्षेत्रीय	1	ग्रुप ए	लेवल—13 ए	लागू नहीं	50 वर्ष	अनिवार्यः
नियोजक			(रु.131100—216600)			i.बी.आर्क / बी.ई (सिविल) /
			(संशोधन पूर्व वेतनमान			नियोजन में स्नातक / एम.ए.
			पीबी-4 रु.			(भूगोल) एवं शहरी/ क्षेत्रीय
			37400-67000 ग्रेड पे			नियोजन में स्नातकोत्तर

474 GI/2018 (1)

8900 छटे सीपीसी में)	ii.स्थानीय निकाय अथवा सरकारी/ सरकारी उपक्रम या मान्यता प्राप्त संस्थान में नगर तथा क्षेत्रीय योजना में 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष नगर/क्षेत्र/नगर एवं ग्राम योजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन एवं
	अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन एवं निगरानी का
	अनुभव हो। वांछितः
	नगर नियोजकों की संस्था का सदस्य (फेलो) (FITP)

			वाछितः
			नगर नियोजकों की संस्था का
			सदस्य (फेलो) (FITP)
L L	<u> </u>	·	
क्या पदोन्नति मामलो में	परिवीक्षा अवधि,	भर्ती पद्धतिः	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती के
भी सीधी भर्ती हेतु तय	यदि कोई हो तो,	सीधी भर्ती या पदोन्नति या	मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन जिस
की गई आयु तथा	पाप पगर हा ता,	प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण	ग्रेड से किया जाना है:
शैक्षिक अर्हताएँ मान्य			त्रिष्ठ स ।प्राचा जाना हः
		तथा विभिन्न पद्धतियों से	
होगी		भर्ती का प्रतिशत	
8	9	10	11
आयु– लागू नही		सम्मिश्रित पद्धति–	प्रतिनियुक्तिः
सीधी भर्ती हेतु मान्य	में एक वर्ष	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित
शैक्षिक अर्हताएँ		(अल्पावधि अनुबंध	प्रदेश सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या
पदोन्नति मामलो में भी		सहित) / सीधी भर्ती	अर्धसरकारी या स्वायत्त या संवैधानिक संगठनों के
लागू होगी		• •	अधिकारी
0			(क) (i)मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर
			सदृश पद पर अथवा
			(ii)मूल सवर्ग या विभाग में लेवल—13 (रु.) 118500—214100) (संशोधन पूर्व वेतनमान
			, ,
			पीबी-4 रु.37400-67000 ग्रेड पे रु.8700
			छठे सीपीसी में) पर नियुक्ति के पश्चात्
			नियमित आधार पर समर्पित ग्रेड में 2 वर्ष
			की सेवा अथवा
			(iii)मूल संवर्ग या विभाग में लेवल—12 (रु.)
			78800—209200) (संशोधन पूर्व वेतनमान
			पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.7600
			छठे सीपीसी में) पर नियुक्ति के पश्चात्
			समर्पित ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा
			तथा
			(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताओं के साथः
			अनिवार्यः
			i.बी.आर्क / बी.ई (सिविल) / नियोजन में
			स्नातक / एम.ए. (भूगोल) एवं शहरी / क्षेत्रीय
			नियोजन में स्नातकोत्तर
			ii.स्थानीय निकाय अथवा सरकारी / सरकारी
			उपक्रम् या मान्यता प्राप्त संस्थान में नगर
			तथा क्षेत्रीय योजना में 15 वर्ष का अनुभव
			जिसमें से कम से कम 5 वर्ष नगर/
			क्षेत्र / नगर एवं ग्राम योजना तैयार करने
			तथा उसके कार्यान्वयन एवं अवसंरचना
			परियोजनाओं के निष्पादन एवं निगरानी का
			अनुभव हो।
			3
L	<u> </u>		1

अविधः प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अविध 3 वर्ष होगी जिसे वर्ष दर वर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर दो वर्षो तक बढाया जा सकता है।

नोटः केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्काल समावेशन के नियम से छूट प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नहीं है।

पदोन्नतिः

संयुक्त निदेशक (तक.) जिसकी लेवल-12 (रु. 78800-209200) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.7600 छठे सीपीसी में) पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर समर्पित ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा हो

सीधी भर्तीः

- (i) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्धसरकारी या स्वायत्त या संवैधानिक संगठनों के अधिकारी
 - (क) (i)मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर अथवा
 - (ii)मूल संवर्ग या विभाग में लेवल—13 (रु. 118500—214100) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी—4 रु.37400—67000 ग्रेड पे रु.8700 छठे सीपीसी में) पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर समर्पित ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा अथवा
 - (iii)मूल संवर्ग या विभाग में लेवल—12 (रु. 78800—209200) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी—3 रु.15600—39100 ग्रेड पे रु.7600 छठे सीपीसी में) पर नियुक्ति के पश्चात् समर्पित ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा।
 - (ख) सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताओं के साथ।
- (ii)जाने माने निजी संगठनो/ संस्थानों के अधिकारी जिनको क्षेत्रीय/नगर नियोजन में 15 वर्षो का अनुभव हो जिसमें से कम से कम 5 वर्ष नगर/क्षेत्र/नगर एवं ग्राम योजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन एवं अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन एवं निगरानी का अनुभव हो। एवं

सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताओं सहित

- नोट 1. शहरी / क्षेत्रीय नियोजन में स्नातकोत्तर के पश्चात् का अनुभव ही मान्य होगा
- नोट 2. संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के प्रदायक ग्रेड का कोई विभागीय उम्मीदवार जिसने लेवल 12 (रु.78800—209200) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी—3 रु.15600—39100 ग्रेड पे रु.7600 छठे सीपीसी में) पर 6 वर्ष की

	नियमित सेवा की हो वो भी इस पद के लिए बाहय उम्मीदवारों के साथ, पात्रता रखता है तथा अगर ऐसे किसी उम्मीदवार का चयन होता है तो वह चयन पदोन्नति द्वारा माना जाएगा।
	नोट 3. प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से पूर्व केन्द्र सरकार के उसी विभाग या किसी अन्य कार्यालय या विभाग में किसी अन्य पूर्व काडर पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।
	नोट 4. प्रतिनियुक्ति पर भर्ती हेतु आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की आखिरी तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अगर विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की परिस्थिति
12	13
कार्मिकों के समूह द्वारा चयन तथा बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात्	लागू नहीं
नियुक्ति। कार्मिकों के समूह की संरचना बोर्ड की अधिसूचना सं.के.	
14011/13/85-राराक्षेयोंबो, दिनांक 8/7/1985 के अनुरूप होगी।	

संयुक्त निदेशक (तकनीकी):

अनुसुची

	अनुसूचा					
पदनाम	पदों	वर्गीकरण	वेतनबैंड व ग्रेड	चयनित अथवा		सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य
	की		पे / वेतनमान	गैर चयनित	भर्ती हेतु	अर्हताएँ
	संख्या			पद	आयु	
					सीमा	
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त निदेशक	2	ग्रुप ए	लेवल—12	लागू नहीं	50 वर्ष	अनिवार्यः
(तकनीकी)			(ক.78800—209200)			(i)बी.आर्क अथवा बी.ई (सिविल)
			7वे सीपीसी के			अथवा बी.प्लानिंग अथवा भूगोल
			अनुसार (संशोधन पूर्व			या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किसी
			वेतनमान पीबी—3			मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /
			रु.15600—39100् ग्रेड			संस्थान से तथा
			पे रु.7600 / –छटे			(ii)क्षेत्रीय / नगर / शहरी / परिवहन /
			सीपीसी में)			अवसंरचना / पर्यावरण नियोजन में
						स्नातकोत्तर किसी मान्यता प्राप्त
						विश्वविद्यालय / संस्थान से तथा
						(iii)किसी स्थानीय निकाय अथवा
						सरकारी / सरकारी उपक्रम या
						मान्यता प्राप्त संस्थान में नगर तथा
						क्षेत्रीय नियोजन में 9 वर्षों का
						अनुभव जिसमें से कम से कम 3
						वर्ष नगर/ क्षेत्र/नगर एवं ग्राम
						योजना तैयार करने तथा उसके
						कार्यान्वयन एवं अवसंरचना
						परियोजनाओं के निष्पादन एवं
						्निगरानी का अनुभव हो।
						नोटः शहरी / क्षेत्रीय नियोजन में
						रनातकोत्तर के पश्चात् का अनुभव ही
						मान्य होगा

क्या पदोन्नति मामलो में भी सीधी भर्ती हेतु तय की गई आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ मान्य होगी	अवधि,	भर्ती पद्धतिः सीधी भर्ती / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण तथा विभिन्न पद्धतियों से भर्ती का प्रतिशत	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन जिस ग्रेड से किया जाना है
8	9	10	11
अयु — लागू नहीं सीधी भर्ती हेतु मान्य अर्हताएँ पदोन्नित मामलो में भी लागू होगी		पदोन्नित न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) न हो पाने पर, सीधी भर्ती	पदोन्नितः बोर्ड में कार्यरत उपनिदेशक (तकनीकी) जो सीधी भर्ती में आवश्यक शैक्षिक अर्इताएँ एवं अन्य योग्यताएँ रखता हो तथा गवें सीपीसी में लेवल 11 (रु.६७७०–208700) (पूर्व संशोधन वेतनमान पीबी—3 रु.15600—39100 ग्रेड पे रु. 6600 छठे सीपीसी में) पर 5 वर्ष की नियमित सेवा हो, विश्वता आधार पर पदोन्नित हेतु पात्र उम्मीदवार हैं। [विभागीय उम्मीदवार (उपनिदेशक—तकनीकी एवं उपनिदेशक—जीआईएस) जो इस अधिसूचना से पूर्व नियुक्त किए गए है, वे भी पदोन्नित हेतु योग्यता रखते है, यदि वे पदोन्नित हेतु पूर्व भर्ती नियम में दी गई शर्ते पूरी करते हों अथवा पदोन्नित हेतु वर्तमान भर्ती नियम में दी गई शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों], नोट 1. "जहाँ ऐसे किण्ड व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्त उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा प्रकार सेवा, अपिक्षत अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ उच्चतर श्रेणी में पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी की हो।" प्रतिनियुक्तिः केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र / अर्धसरकारी / स्वायत्त / संवैधानिक संगठनों के अधिकारी (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो, या (ii) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो, या (ii) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो, या (ii) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो, या (ii) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो, या (ii) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित अधार पर एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है। नोट 2. प्रदायक ग्रंड के विभागीय उम्मीदवार, जो पदोन्ति के प्रत्यक्ति के प्रत्यक्ति के प्रत्यक्ति के विभागीय उम्मीदवार, जो पदोन्ति के प्रत्यक्ति के प्रत्यक्ति के विभागीय उम्मीदवार, जो पदोन्ति के प्रत्यक्ति के प्रत्यक्ति के विभागीय उम्मीदवार भी पदोन्तिति पर नियुक्ति के पात्र निहीं होंगे। नोट 3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की आयु सीमा आवेदन

-	$\frac{1}{1}$
	प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नही होनी
	चाहिए।
	नोट 4. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्काल
	समावेशन के नियम से छूट प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु
	आवश्यक नहीं है।

अगर विभागीय पदोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की परिस्थिति
12	13
कार्मिकों के समूह द्वारा चयन तथा बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन	
के पश्चात् नियुक्ति। कार्मिकों के समूह की संरचना बोर्ड की	
अधिसूचना सं.के.१४०११ / १३ / ८५—राराक्षेयोबो, दिनांक	
8/7/1985 के अनुरूप होगी।	

उप निदेशक (प्रशासन)ः

अनुसूची

पदनाम पदों की वर्गीकरण वेतनबैंड व ग्रेड चयनित सीधी भर्ती	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य
संख्या पे / वेतनमान अथवा गैर हेतु आयु	अर्हताएँ
चयनित पद सीमा	
1 2 3 4 5 6	7
उप निदेशक 1 ग्रुप ए लेवल-11 लागू नहीं 50 वर्ष से	अनिवार्यः
(प्रशासन) (रु.67700—208700) अधिक नहीं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
7वे सीपीसी के	से स्नातक
अनुसार (संशोधन	वांछितः
पूर्व वेतनमान	(i) विधि में स्नातक
पीबी-3 रु.	(ii) प्रशासन अथवा कार्मिक प्रबंधन
15600—39100 ग्रेड	में एम बी ए
पे रु. 6600 / -	(iii) सार्वजनिक प्रबंधन में
छठे सीपीसी में)	्रं स्नातकोत्तर
	अनुभवः
	नियमित आधार पर लेवल 10 (रु.
	56100—177500) (सातवां सीपीसी)
	(संशोधन पूर्व वेतनमान
	पीबी—3 रु. 15600—39100 ग्रेड पे
	रु. 5400 छठे सीपीसी में) में
	सरकारी / स्वायत्त / सार्वजनिक
	उपक्रम में प्रशासन एवं स्थापना
	कार्य के साथ 5 वर्षों की नियमित
	सेवा

में भी सीधी भर्ती हेतु	यदि कोई हो तो,	भर्ती पद्धतिः सीधी भर्ती / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण तथा विभिन्न पद्धतियों से भर्ती का प्रतिशत	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन जिस ग्रेड से किया जाना है
8	9	10	11
लागू नहीं सीधी भर्ती हेतु मान्य अर्हताएँ पदोन्नति मामलों में भी लागू होगी	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष	पदोन्नित न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) न हो पाने पर, सीधी भर्ती	पदोन्नतिः आंतरिक उम्मीदवार जो सहायक निदेशक (प्रशा. /स्था.) के पद पर लेवल—10 (रु. 56100—177500) (सातवां सीपीसी) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी—3 रु.15600—39100 ग्रेड पे रु. 5400 छठे सीपीसी में) पर 5 वर्षों का अनुभव रखते हो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए योग्य होंगे।

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

	<u> </u>
	प्रतिनियुक्तिः केन्द्र सरकार / राज्य सरकार संगठन अथवा सार्वजिनक उपक्रम में लेवल—10 (रु. 56100—177500) (सातवां सीपीसी) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी—3 रु.15600—39100 ग्रेड पे रु. 5400 छठे सीपीसी में) पर मूल संवर्ग या सदृश पद पर नियमित आधार पर 5 वर्षों का अनुभव तथा सीधी भर्ती हेतु आवश्यक योग्यताएँ पूर्ण करने वाला उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति हेतु योग्य होगा
	नोट 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष होगी। प्रारंभ में 3 वर्ष जोिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है। नोट 2. प्रदायक ग्रेड के विभागीय उम्मीदवार, जो पदोन्नित के प्रत्यक्ष क्रम में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त उम्मीदवार भी पदोन्नित पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नोट 3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 4. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्काल समावेशन के नियम से छूट प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नहीं है।

अगर विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की परिस्थिति
11	12
रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8/7/1985 की अधिसूचना सं. के.	
14011 / 13 / 85-राराक्षेयोबो, के अनुसार चयन समिति की	
सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया	
जाएगा।	

बी. के. त्रिपाठीं, सदस्य सचिव, [विज्ञापन-III /4/असा. /411/17]

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(National Capital Region Planning Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2018.

No.A-12011/1/2017-Estt.(Vol-I).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), and in continuation of the National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules, 2006 published vide No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006 and National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Rules, 2015 published vide No. A-12011/2/2015-Estt. dated 27th July, 2016, the NCR Planning Board hereby makes the following amendments in the method of recruitment to the posts of **Chief Regional Planner, Joint Director (Technical) and Deputy Director (Administration)**, National Capital Regional Planning Board namely:-

1. Short title and commencement -

- (i) These regulations may be called the "National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Regulations, 2017".
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Notifications No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006 and No. A-12011/2/2015-Estt. dated 27th July, 2016, the tables in respect of the posts of Chief Regional Planner, Joint Director (Technical) and Deputy Director (Administration) given after the clause 14.2 of the Notifications, are substituted with the following Schedules:-

Chief Regional Planner:-

SCHEDULE

Name of	No. of	Classification	Pay Band	Whether	Age limit	Education and other
Post	Posts		and Grade	Selection Post	for direct	qualifications required
			Pay / Pay	or non-	recruits	for direct recruits.
			scale	Selection post.		
1	2	3	4	5	6	7
Chief	One	Group 'A'.	Level-13A	Not	50 years	Essential:
Regional			(Rs.131100-	applicable.		(i) B. Arch/ B.E.
Planner			216600) (pre			(Civil)/ Bachelor of
			revised scale			Planning/ M.A.
			PB-4			(Geography) and
			Rs.37400-			Post Graduate
			67000 grade			Degree in Urban/
			pay Rs 8900			Regional Planning.
			in 6 th CPC)			
						(ii) 15 years' experience
						in the field of town
						and regional
						planning in a local
						body or in a
						Government/ Govt.
						undertaking or in a
						recognized
						institution, out of
						which at least 5
						years in preparation
						and implementation
						of
						urban/regional/town
						& country planning
						and monitoring of
						infrastructure
						projects.
						Desirable: Fellow of
						Institute of Town
						Planners (F.I.T.P.)

Whether age	Period of	Method of	In case of recruitment by promotion/
and educational	Probation, if	recruitment:	deputation/ absorption grades from which
qualifications	any	Whether by	promotion/ deputation/ absorption to be made
prescribed for		direct	
direct recruits		recruitment or	
will apply in the		by promotion or	
case of		by deputation/	
Promotees		transfer &	
		percentage of	
		the vacancies to	
		be filled by	
		various methods	

8	9	10	11
Age not	One year in	Composite	Deputation:
applicable.	case of direct	method-	
Educational	recruits	Promotion /	Officers of the Central Government or State
qualifications		Deputation	Government or Union Territory Govts. or
prescribed for		(including short	Public Sector Undertaking or semi Government
direct recruits		term contract) /	or Autonomous or Statutory organizations –
will apply in the		Direct	
case of promotees.		Recruitment.	(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department, or
			(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-13 (Rs.118500-214100) (pre revised scale PB-4 Rs.37400-67000 grade pay Rs.8700 in 6 th CPC); or
			(iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-12 (Rs.78800-209200) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs. 7600 in 6 th CPC); and (b) Possessing the following educational
			qualifications, namely:-
			Essential: (i) B. Arch/ B.E. (Civil)/ Bachelor of Planning/ M.A. (Geography) and Post Graduate Degree in Urban/ Regional Planning. (ii) 15 years' experience in the field of town and regional planning in a local body or in a Government/ Govt. undertaking or in a recognized institution, out of which at least 5 years in preparation and implementation of urban/regional/town & country planning and monitoring of infrastructure projects. Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment. Note: Exemption from Rule of Immediate Absorption for Central Government Employees is not required on appointment on deputation. Promotion:
			Joint Director (Tech) having 6 years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-12 (Rs.78800-209200) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs. 7600 in

6th CPC).

Direct Recruitment:

- (i) Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Govts. or Public Sector Undertaking or semi Government or Autonomous or Statutory organizations –
 - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department, or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-13 (Rs.118500-214100) (pre revised scale PB-4 Rs.37400-67000 grade pay Rs. 8700 in 6th CPC); or
 - (iii) with 6 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-12 (Rs.78800-209200) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs. 7600 in 6th CPC); and
 - (b) Possessing the Educational and other qualification required for direct recruits.
- (ii) Officers of the reputed private organisations/ institutions with 15 years experience in the field of town and regional planning, out of which at least 5 years in preparation and implementation of urban/regional/town & country planning and monitoring of infrastructure projects; and

Possessing the Educational and other qualification required for direct recruits.

Note-1. Total experience would count after acquiring the Post Graduate Degree in Urban/Regional Planning.

Note-2. A departmental candidate in the feeder grade of Joint Director (Technical) in the pay band of Level-12 (Rs.78800-209200) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs. 7600 in 6th CPC) with six years' regular service in the grade shall also be eligible to be considered for this post along with the outsiders and in case he is selected, his appointment shall be deemed to have been made by promotion.

Note-3. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department

of the Central Government shall not exceed
initially for five years.
Note-4. The maximum age-limit for
appointment by deputation shall be not
exceeding fifty six years, as on the closing date
of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its	Circumstances in which Union Public Service
composition	Commission is to be consulted in making
	recruitment
12	13
Selection by Personnel Group and appointment to be made after	Not applicable.
approval by the Chairman of the Board. The composition of the	
Personnel Group, as per the NCRPB Notification No. K-	
14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985	

Joint Director (Technical):-

SCHEDULE

Post 1	No. of Posts 2 Γwo	Classification 3 Group 'A'	Pay Band and Grade Pay / Pay scale 4 Level-12 (Rs.78800- 209200) as per 7 th CPC (pre revised	Whether Selection Post or non- Selection post 5 Not Applicable	Age limit for direct recruits 6 50 years	Education and other qualifications required for direct recruits. 7 Essential: (i) B. Arch. or B.E.
Joint T			Pay / Pay scale 4 Level-12 (Rs.78800- 209200) as per 7 th CPC	or non- Selection post 5 Not	recruits 6	for direct recruits. 7 Essential:
Joint T Director			scale 4 Level-12 (Rs.78800- 209200) as per 7 th CPC	Selection post 5 Not	6	7 Essential:
Joint T Director			4 Level-12 (Rs.78800- 209200) as per 7 th CPC	5 Not		Essential:
Joint T Director			Level-12 (Rs.78800- 209200) as per 7 th CPC	Not		Essential:
Director	Гwо	Group 'A'	(Rs.78800- 209200) as per 7 th CPC		50 years	
			scale PB-3 Rs.15600- 39100 grade pay Rs. 7600 in 6 th CPC)			(Civil) or B. Planning or Post Graduate Degree in Geography or Economics from a recognized University/Institute; and (ii) Post Graduate Degree in Regional or City or Urban or Transportation or Infrastructure or Environment Planning from a recognized University/Institute; and (iii) 9 years' experience in the field of town and regional planning in a local body or in a Government/ Govt. undertaking or in a recognized institution, out of which at least 3 years in preparation and implementation of urban/regional/town & country planning and
						monitoring of infrastructure projects.

			Note- Total experience would count afte acquiring the Pos Graduate Degree in Urban/ Regiona Planning.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
Age not applicable. Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Two years	Promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing which by Direct Recruitment.	Promotion: Deputy Director (Technical) of the NCR Planning Boar possessing the educational and other qualification required for direct recruits and having five years or regular service in the Level-11 (Rs.67700-208700) (pr revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs.6600 in 6th CPC) as per 7th CPC are eligible for promotion on seniority basis. [Those departmental candidate (DD-Tech and DD-GIS who have been appointed prior to this notification are alse eligible for promotion, either they fulfill the conditions a stipulated in the previous RRs for promotees of possessing the educational and other qualification required for promotion in the present RRs.] Note 1: "Where juniors who have completed their qualifying services are being considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility services be more than half of such qualifying/ eligibility services be more than half of such qualifying/ eligibility services of two years, whichever is less, and have successfully completed probation period of promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying/ eligibility services." Deputation: Officers under Central Government. or Stat Governments. or Union Territory Governments. or Publis Sector Undertakings or semi-Govt. or autonomous of statutory organisations: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department or (ii) with Five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level-11 (Rs.67700-208700) (pre revised scale PB-Rs.15600-39100 grade pay Rs.6600 in 6th CPC) of equivalent in the parent cadre or department. i. Possessing essential qualification as prescribed for Direct Recruitment.

Note-1: Period of deputation will be four years. Initially

for three years extendable by one year on the basis of performance assessment.
Note-2: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
Note-4: Exemption from Rule of Immediate Absorption for Central Government Employees is not required on appointment on deputation.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public
	Service Commission is to be consulted
	in making recruitment
12	13
Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval	
by the Chairman of the Board. The composition of the Personnel Group,	
as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated	
8.7.1985	

Deputy Director (Administration):SCHEDULE

Name of Post	No. of	Classification	Pay Band	Whether	Age limit	Education and other
	Posts		and Grade	Selection	for direct	qualifications required
			Pay / Pay	Post or non-	recruits	for direct recruits.
			scale	Selection		
				post.		
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director	One	Group 'A'	Level-11	Not	Not	Essential:
(Administration)			(Rs.67700-	applicable.	exceeding	Graduate Degree from
			208700) as		50 years.	recognized University.
			per 7 th CPC			Desirable:
			(pre revised			(i) Degree in Law
			scale PB-3			(ii) MBA in personnel
			Rs.15600-			management or
			39100 grade			Administration
			pay Rs.6600			(iii) Post Graduate
			in 6 th CPC)			diploma in Public
						Administration
						Experience: Five
						years' service on
						regular basis in the
						pay scale of Level-10
						(Rs.56100-177500)
						(7 th CPC) (pre revised
						scale PB-3 Rs.15600-
						39100 grade pay
						Rs.5400 in 6 th CPC) in
						responsible position
						with Administration &
						Establishment work in
						a Govt. Office or

								Autonomous body or Public Sector Undertaking.	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of Probation, any.	if	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.				
8	9		10)			11		
Not applicable.	Two year case of recruitmen	direct	Promotion which Deputation (including term of failing will direct recr	by n short contract) hich by	Inter Direct Adm 1775 grade prom Depu Office Sector Leve PB-3 parenthe qualitapply Note a per of per Note who for content deput closi Note Centre Centre Direct Administration of the Note	ctor (Admn/E. cm./Estt. in the in./Estt. in the in. in./Estt. in the in./Estt. in the in. in. in. Capro Central in. in. in. Set. 15400-3910 in. in. in. Set. 15600-3910 in. Set	stt.) with 5 pay scale of pay scale of the control	position of Assistant years experience in f Level-10 (Rs.56100-le PB-3 Rs.15600-39100) will be eligible for Organization or Public ars in the pay scale of CPC) (pre revised scale s.5400 in 6 th CPC) in the post on regular basis in a fulfills the requisite ecruits will be eligible to be four years. Initially for by one year on the basis in the feeder category of the post of the feeder category of the feeder ca	

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted
	in making recruitment
12	13
The Selection will be made by the Member Secretary on the basis of the recommendations of Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985	

B. K. TRIPATHI, Member Secy. [ADVT.-III/4/Exty./411/17]